

14.05.2026 पत्रावली पैसा हुई। प्राथमिक व प्राथमिक अधिकांकता अनुपातिक। प्राथमिक व प्राथमिक अधिकांकता को विहित अवधि दिखाने के लिए, किन्तु प्राथमिक को और से कोई हाजिर नहीं आया। प्राथमिक व प्राथमिक अधिकांकता का न्यायसमय समय तक इंतजार किया गया। प्राथमिक द्वारा साबिक अधिकारी को पत्रना किया जाना नहीं पाया गया है। गत पैसा पर भी प्राथमिक व उनके अधिकांकता अनुपातिक रहे हैं। उक्त पत्र प्रकरण प्रा. पत अंतर्गत धारा 54 यू- कालम्ब अधिनियम प्राथमिक व प्राथमिक अधिकांकता को अदम्य हाजिर एवं अदम्य पैसा में धारित किया जाने के आदेश दिए जा रहे हैं। पत्रावली पैसा जुमाने के लिए तब तक से काम करें।

जिला कलेक्टर  
भीलवाड़ा